कम्प्यूटर सं० 1920027/14-6-19

पत्र सं0– विधि–4(2)/मार्गदर्शन (2019–20)/ 113 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक– 14 जून, 2019

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषयः– सेन्ट्रल जी0एस0टी0 क्षेत्राधिकार में चल रही फर्मों को फार्म–डी उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतमबुद्ध नगर, जोन–नोएडा द्वारा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड–3, गौतमबुद्ध नगर के पत्र सं0–305 दिनांक 25.05.2019 तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) संभाग–बी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र सं0– 106 दिनांक 20.05.2019 की प्रति संलग्न करते हुए अपने पत्र सं0–481/ 2019–20 /जी0एस0टी0/विधि/एडी0कमि0वा0क0 गौ0नगर जो0नो0 दिनांक 20.05.2019 से निम्न बिंदु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है:–

> "बहुत सी ऐसी फर्में हैं, जो पूर्व में वाणिज्य कर के समय से फार्म–डी लेती थीं, अब उनका अधिकार क्षेत्र सेन्ट्रल जी0एस0टी0 के अन्तर्गत हो गया है। उदाहरण के लिये डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड–3, गौतमबुद्ध नगर कार्यालय में पंजीकृत फर्म सर्वश्री के0सी0एल0लि0 GSTIN-09AAACK3111H1ZY वर्तमान में सेन्ट्रल जी0एस0टी0 विभाग के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार है, द्वारा फार्म–डी की मांग की गयी है। उक्त के सम्बंध में महोदया से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकार की फर्मों (जी0एस0टी0 क्षेत्राधिकार वाली फर्मों) को फार्म–डी देय है की नहीं, इस सम्बंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें।"

उक्त बिंदु पर मुख्यालय के परिपत्र सं0– ज्वा0कमि0 (कार्पो0सेल–ऑयल सेक्टर)/2017–18/ 453/ वाणिज्य कर दिनांक 15.03.2018 से सविस्तार प्रक्रिया पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है। मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.03.2018 विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पूर्व में भी मुख्यालय को मार्गदर्शन हेतु ऐसे बिंदु संदर्भित हुए हैं, जिस बिंदु पर या तो विधिक स्थिति स्वतः स्पष्ट है अथवा मुख्यालय द्वारा परिपत्र के माध्यम से स्थिति पहले से ही स्पष्ट की जा चुकी है।

स्पष्ट है कि फील्ड में तैनात अधीनस्थ अधिकारियों तथा उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा विधिक प्राविधानों, विज्ञप्तियों तथा परिपत्रों के माध्यम से प्रसारित निर्देशों का अवलोकन एवं अध्ययन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं विधिक प्राविधानों, नियमावली, विज्ञप्तियों तथा परिपत्रों का सम्यक् अध्ययन करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को भी इनका नियमित अध्ययन करने तथा अपडेट रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।